


संज्ञक नं. 81/2023  
जीपीएमएस नंबर-2023/193  
मोरमुकुट सिंह बनाम रामसिंह वगैरह

- :: आवेश :: -

यत् वादीगण का वाद घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवारा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 रवीकार किया जाकर मौजा राजौद के खाना संख्या 514 के खेत खसरा नंबर 397 रकबा 5.4956 हैक्टेयर, खसरा नंबर 514 रकबा 3.2941 हैक्टेयर में वादी को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ सहखातेदार घोषित किया जाकर निम्न प्रकार से पक्षकार्य के मध्य भूमि विभाजन कर निम्न प्रकार से अंतिम डिक्री किया जाता है।

1. वादी मोरमुकुट के हक बंट कब्जा काश्त खातेदारी में मौजा राजौद के खेत खसरा नंबर 397 रकबा 5.4956 हैक्टेयर पूरा रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
2. प्रतिवादी संख्या 1 रामसिंह के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा राजौद के खेत खसरा नंबर 514 रकबा 3.2941 हैक्टेयर पूरा यथावत खेत रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
3. बैंक के रहन खसरा नं. यथावत बैंक के रहन रहेंगे तथा संबंधित बैंक को सूचित हो। निर्णय आज दिनांक 11-08-23 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलारस, न्याया मया।



(ओमप्रकाश वर्मा)  
सहायक कमिश्नर एवं उपखण्ड अधिकारी  
जायल-(नागौर)